—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 127/2024

उनवान

नौसर पुत्री माना जाति रावत निवासी ग्राम असंरी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेम पत्नी लादू,
2. मंजू पुत्री लादू
3. संगीता उर्फ सोनू पुत्री लादू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम असंरी, नसीराबाद
4. उप पंजीयक, नसीराबाद
5. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 4 व 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी के खसरा नम्बर 263/1409 रकबा 0.02, 265 रकबा 0.11 व 271 रकबा 0.11 की आराजी में से खसरा नम्बर 263/149 प्रार्थीया के खातें में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 265 व 271 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है जो विभाजन से त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर प्रार्थीया के हक व हिस्से में है। खसरा नम्बर 265 व 271 त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज करने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरियें अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु प्रकरण विचारण के दौरान अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम असंरी के खसरा नम्बर 265 रकबा 0.11 व 271 रकबा 0.11 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम व खसरा नम्बर 263/1409 रकबा 0.02 प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 2... मौके पर उसका कब्जा है किन्तु विभाजन के समय त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित कर दी। प्रार्थी द्वारा ... मुतनाजा के विभाजन की दिनांक पूर्व जमाबंदी पेश नही की है। प्रार्थी ... स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:04 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पूर्व राजस्व अभिलेख में किस खातेदार के नाम अंकित थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित विभाजन के दस्तावेज व साबिक राजस्व अभिलेख के अभाव में मात्र मौखिक कथनों के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। **अतः** प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :— विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगणकी खातेदारी में दर्ज है। भूमि के विभाजन व पूर्व राजस्व अभिलेख के तथ्य प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :— न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :— अतः ग्राम असंरी के खसरा नम्बर 263/1409 रकबा 0.02, 265 रकबा 0.11 व 271 रकबा 0.11 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:04 IST
Reason: SelfAttested